संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
—: आदेश :—

क्रमांक / 1—जी / विज्ञप्त / सेल—6 / वेतन / एफ—7 / 2020 / 1077 भोपाल, दिनांक 3/11/20 ~~10.2020~~

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र क्र. एफ—4—1 / 2008 / सत्रह / मेडि—1 दिनांक 26.8.2008 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23.07.2013 द्वारा चिकित्सा अधिकारी / दंत शल्य चिकित्सकों को दिनांक 26.08.2008 से चार स्तरीय वेतनमान स्वीकृत करने हेतु आदेश प्रसारित किये गये है। इन आदेशों के परिपालन में निम्नलिखित 44 चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 5 में अंकित दिनांक से चार स्तरीय वेतनमान के अंतर्गत प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 15600—39100+ग्रेड—पे 7600 एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :—

क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदक्रम सूची में वरिष्ठता क्रमांक एवं दिनांक 01-04-08	लोक सेवा आयोग का चयन वर्ष / नियमितिकरण वर्ष	प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये (15600—39100+ ग्रेड—पे—7600) दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	DR. NITEEN TOMAR	2649	2000	01-01-2016
2.	DR. SURESH KUMAR	2986	2000	01-01-2016
3.	DR. RAM KUMAR SATNAMI	2988	2000	01-01-2016
4.	DR. SHAKTI G. TAKSANDE	3039	2004	01-01-2017
5.	DR. RAJESH GUPTA	3049	2004	01-01-2017
6.	DR. NARENDRA KUMAR BARUA	3050	2004	01-01-2017
7.	DR. SMT. RUKMANI GULHARIYA	3069	2004	01-01-2017
8.	DR. MAHENDRA BADOLE	3081	2004	01-01-2017
9.	DR. RAJESH PARIHAR	3084	2004	01-01-2017
10.	DR. RAJENDRA SINGH SEMIL	3088	2004	01-01-2017
11.	DR. NEERAJ KUMAR CHHARI	3090	2004	01-01-2017
12.	DR. VIJAY KUMAR BHARTI	3092	2004	01-01-2017
13.	DR. VARSHA RAI	3094	2004	01-01-2017
14.	DR. KU. JAYA THAKUR	3098	2004	01-01-2017
15.	DR. KU. KIRTI NANDURKAR	3101	2004	01-01-2017
16.	DR. KU. BINDU KUSRAM	3103	2004	01-01-2017
17.	DR. ARTI SONDHIYA	3105	2004	01-01-2017
18.	DR. MAMTA NAGENDRA	3109	2004	01-01-2017
19.	DR. RANJEET SINGH MUJALDA	3112	2004	01-01-2017
20.	DR. VIMLA RAJ BIGHANE	3116	2004	01-01-2017
21.	DR. AMRIT KUMAR LAKDA	3131	2004	01-01-2017
22.	DR. SMT. KALPANA, CHOUDHARY	3132	2004	01-01-2017
23.	DR. RAM PRASAD SINGH	3143	2004	01-01-2017
24.	DR. GANPAT SINGH BAGHEL	3144	2004	01-01-2017
25.	DR. OM PRAKASH VERMA	3149-A	2005	01-01-2018
26.	DR. PREM CHANDRA ARYA	3150	2005	01-01-2018
27.	DR. SHIV KUMAR VERMA	2153	2005	01-01-2018
28.	DR. VIJAY SINGH THAKUR	3158	2005	01-01-2018

2/11/2020

क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदक्रम सूची में वरिष्ठता क्रमांक एवं दिनांक 01-04-08	लोक सेवा आयोग का चयन वर्ष/ नियमितिकरण वर्ष	प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये (15600–39100+ ग्रेड–पे–7600) दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
29.	DR. NAND KISHORE SETHIA	3161	2005	01-01-2018
30.	DR. PUSHPA RANI SINGH	3166	2005	01-01-2018
31.	DR. NARENDRA SHARMA	3169	2005	01-01-2018
32.	DR. SUNIL KUMAR JAIN	3173	2005	01-01-2018
33.	DR. ALKA MAHULE	3181	2005	01-01-2018
34.	DR. SHRIMATI FAJILAT KHANAM	3194	2005	01-01-2018
35.	DR. NITIN PATEL	3203	2005	01-01-2018
36.	DR. MANISH SARASWAT	3206	2005	01-01-2018
37.	DR. VIVEK GUPTA	3209	2005	01-01-2018
38.	DR. RAMAKANT SHRIVASTAVA	3225	2005	01-01-2018
39.	DR. SMT. ANUBHA KALYANTRI	3232	2005	01-01-2018
40.	DR. VIJAYKUMAR PAIGWAR	3233	2005	01-01-2018
41.	DR. SURESH KUMAR JATAV	3236	2005	01-01-2018
42.	DR. LIYAKAT KHAN	3243	2005	01-01-2018
43.	DR. SMT. ARCHANA PUNDIR	3246	2005	01-01-2018
44.	DR. SAIYAD NAUSHAD ALI NAKVI	3252	2005	01-01-2018

02/ जिन चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।

03/ जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 15600–39100+ग्रेड–पे 7600 स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेखों से पुष्टि/कार्यवाही कर ली जाए :–

04/ चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक के पूर्व की सेवा में कोई अवधि डाईजनॉन की गई हो तो उनकी प्रवर श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुये संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

05/ यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जाये।

06/ यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्व विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्थगित रखते हुये तत्काल मुख्यालय को तथ्यात्मक जानकरी के साथ अवगत कराया जावे, जिससे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

07/ यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हो चुके हो, त्याग पत्र दे दिया हो अथवा उनकी नियमित पदोन्नति हो चुकी हो तो ऐसे चिकित्सक को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।

8/ चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित अधिकारी की सेवायें, उसकी संवर्ग में नियुक्ति की तिथि से, मूलभूत नियम के सहायक नियम 37 अनुसार, कार्यालयीन अभिलखों से सत्यापित हो। सेवाओं के सत्यापन की अवधि में सेवा अवरोध की स्थिति में प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ स्वीकृत नही किया जाये तथा ऐसे प्रकरण पूर्ण विवरण के साथ आवश्यक निर्णय के लिये इस कार्यालय को उपलब्ध करवायें।

_आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।_

(सपना एम लोवंशी)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश

पृ.क्रं. क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–6/वेतन/एफ–7/2020/1078 **भोपाल, दिनांक ~~.10.2020~~** 3/11/20
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गैस राहत विभाग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
5. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
7. संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान, सिटी सेन्टर, ग्वालियर।
8. संचालक, गैस राहत, कमला नेहरू चिकित्सालय, भोपाल।
9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश भोपाल।
10. अपर संचालक (वित्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
11. उप संचालक (विज्ञप्त)/कार्या.स्थापना/गोपनीय/लीगल, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
12. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
13. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
14. समस्त संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
16. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश ।
17. समस्त प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य प्रदेश।
18. समस्त अधीक्षक, सामान्य चिकित्सालय, मध्य प्रदेश।
19. समस्त अधीक्षक, क्षय चिकित्सालय, मध्य प्रदेश।
20. संचालक, मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर/इन्दौर, मध्य प्रदेश।
21. अधीक्षक, पुलिस चिकित्सालय/पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/केन्द्रीय एवं जिला जेल, मध्य प्रदेश।
22. समस्त कमाण्डेट, विशेष सशस्त्र बल, मध्य प्रदेश।
23. प्रभारी, एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
24. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
25. समस्त संबंधित चिकित्सा अधिकारियों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
26. आदेश नस्ती।

2/11/2020
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश